अप्प दीपों भव
''स्वयं दीपक बनो''
"Be Enlightend"

स्थापित – 2022
PROSPECTUS

तपस्थली महाविद्यालय

डीली सरैया, अयोध्या (उ0प्र0) – 224189

(डॉ0 राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या से सम्बद्ध)



नियमावली एवं निर्देशिका

PROSPECTUS

राम शंकर गुप्ता
प्रबन्धक

डॉ० इन्द्रभान शुक्ल
प्राचार्य

प्रबन्धक का संदेश

शिक्षा सदैव मनुष्य और समाज को प्रबुद्ध करती रही है। यह ऐसा उपकरण है जो किसी समाज और राष्ट्र की निरंतर शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, दार्शनिक और वैज्ञानिक प्रगति में मदद करता है। मानव जीवन में शिक्षा की अहम भूमिका है। स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर की शिक्षा व्यक्ति के जीवन को गौरवशाली, आनन्दमय एवं आत्मनिर्भर बनाने की महत्वपूर्ण कड़ी है। शिक्षा के क्षेत्र में समाज में योगदान देने के विचार ने मुझे महाविद्यालय की स्थापना करने के लिए प्रेरित किया और मुझे गर्व और खुशी महसूस हो रही है कि संस्थान अपने लक्ष्यों को अच्छी तरह से प्राप्त कर रहा है। हमारा प्राथमिक लक्ष्य छात्रों में निर्धारित पाठ्यक्रम के अलावा भविष्य में जीवन के सामने आने वाली विभिन्न चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करने की क्षमता विकसित करना है। वर्तमान समय सपनों और गलाकाट प्रतिस्पर्धा का समय है। जीवन में सफल व्यक्ति बनने के लिए जरूर एक लक्ष्य तय करना, उसके सपने देखना और अपने सभी प्रयास करते हुए लगातार उसका पीछा करना है। हमारा उद्देश्य छात्रों में उन गुणों और उत्साह को विकसित करना है जो उन्हें गौरव के पथ पर ले जाए। मुझे यकीन है कि कॉलेज के शिक्षण/गैर-शिक्षण कर्मचारी छात्रों के व्यक्तित्व को विकसित करने में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेंगे जिससे उनके सपने पूरे होंगे। यह भी उम्मीद करता हूँ कि छात्र भी अनुशासन बनाए रखेंगे, अपने शिक्षकों, बड़ों का सम्मान करेंगे और जीवन के हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे।

राम शंकर गुप्ता
प्रबंधक

प्राचार्य का संदेश

यहाँ के जिज्ञासु विद्यार्थी के रूप में आप सभी ऐसी संस्था से सम्बद्ध हो रहे हैं जो स्वस्थ, सुसंस्कृत, सच्चरित्र युवा मानस के सर्वांगीण विकास की कार्यशाला है। यह संस्थान सभी छात्र-छात्राओं के समग्र विकास हेतु तत्पर एवं प्रतिबद्ध है। महाविद्यालय पुस्तकीय ज्ञान के अतिरिक्त नैतिक मूल्यों, उच्च मानवीय आदर्शों तथा राष्ट्रीय विकास के अनुरूप शिक्षा, स्वास्थ्य एवं संस्कार संवर्धन का उत्कृष्ट परिवेश है। छात्र एवं छात्राओं को यहाँ पर भारतीय आदर्श एवं नैतिक जीवन मूल्यों की शिक्षा प्रदान की जाती है। महाविद्यालय में स्तरीय स्वाध्याय हेतु पुस्तकालय एवं अध्ययन हेतु सुयोग्य एवं अनुभवी प्राध्यापक उपलब्ध हैं। सभी छात्र/छात्राएँ इन सुविधाओं के अधिकाधिक उपयोग से अपना भविष्य उज्ज्वल बनायें, ऐसी मेरी शुभकामना है। सूर्य अत्यन्त तेजवान अन्धकार को दूर करने वाला एवं ऊष्मा प्रदान करने वाला होता है, परन्तु अज्ञान रूपी अन्धकार को सैकड़ों सूर्य एक साथ मिलकर भी दूर नहीं कर सकते। शिक्षक ज्ञान रूपी अमृत से परिपूर्ण उस कलश के समान है जो ज्ञानामृत प्रदान करने के बाद भी कभी रिक्त नहीं होता है। शिक्षक ज्ञान का प्रदाता है। शिक्षक की महत्ता अपार है। अज्ञान रूपी अन्धकार को अपनी शिक्षा, उपदेश अथवा ज्ञान के द्वारा दूर करने के कारण ही ऋषियों ने उसकी प्रशंसा की है।

महाविद्यालय में छात्र एवं छात्राओं के सर्वांगीण विकास हेतु उन्हें पाठ्यक्रमानुसार शिक्षित करने के साथ-साथ पाठ्येतर क्रिया-कलापों एवं अपने सामाजिक दायित्वों के प्रति जागरूक करने के लिए विभागीय परिषदों के माध्यम से वर्तमान में स्वच्छता, जल, पर्यावरण संरक्षण एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के प्रति जागरूक करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं। जिसके फलस्वरूप छात्र एवं छात्राओं का ज्ञान संवर्धन होता है।

डॉ0 इन्द्रभान शुक्ल
प्राचार्य

महत्वपूर्ण सूचनाएँ/निर्देश

1. निर्देशिका को भली भाँति अध्ययन के उपरान्त ही प्रवेश आवेदन–पत्र प्रस्तुत करें।
2. परीक्षा में अनुचित साधन प्रयोग के दोषी, किसी प्रकार की असामाजिक गतिविधि में संलिप्त अथवा महाविद्यालय परिसर के किसी सदस्य के प्रति अभद्र व्यवहार के आरोपी छात्र–छात्रा का महाविद्यालय में प्रवेश सम्भव नहीं होगा।
3. महाविद्यालय प्रशासन के हित में किसी भी छात्र–छात्रा को प्रवेश देने या न देने का सम्पूर्ण अधिकार प्रवेश समिति/संस्थाध्यक्ष में सन्निहित है। किसी भी छात्र–छात्रा को महाविद्यालय के हित में बिना कारण बताये महाविद्यालय प्रशासन निष्कासित कर सकता है।
4. महाविद्यालय में जमा किया गया शुल्क किन्हीं भी परिस्थितियों में वापस नहीं किया जायेगा।
5. विश्वविद्यालय परीक्षा फार्म/नामांकन फार्म समय से भरकर जमा करने का दायित्व सम्बन्धित छात्र/छात्रा का होगा, न जमा करने पर सारी जिम्मेदारी छात्र/छात्रा की होगी।
6. विश्वविद्यालय परीक्षा में बैठने से पूर्व पुस्तकें वापस लौटाना तथा अदेय प्रमाण पत्र लेना आवश्यक है। सभी देय राशियाँ देना अनिवार्य है।
7. अवांछित तत्वों से महाविद्यालय को मुक्त रखने के लिए आवश्यक है कि महाविद्यालय परिसर में छात्र/छात्रा अपना परिचय पत्र अपने साथ अवश्य रखें व जाँच के दौरान उसे दिखायें।
8. महाविद्यालय परिसर में धूम्रपान, मद्यपान एवं रैगिंग वर्जित है। दोषी पाया जाना दण्डनीय अपराध होगा।

महाविद्यालय का संक्षिप्त इतिहास

क्षेत्र में उच्च शिक्षा को प्रभावी करते हुए छात्र/छात्राओं के उज्जवल भविष्य हेतु उच्च शिक्षा के समुचित संतुलित, सर्वांगीण विकास के लिए तपस्थली महाविद्यालय की स्थापना दिनांक 29.07.2022 को की गई।

महाविद्यालय समाज के उन समस्त होनहार, प्रतिभावान, गरीब, निर्बल, असहाय छात्र/छात्राओं को उच्चकोटि की शिक्षा देने के लिए कटिबद्ध है जो आर्थिक अभाव एवं सुविधाओं की कमी के कारण उच्च शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। अति अनुशासित, स्वच्छ एवं शान्त वातावरण में स्थित यह महाविद्यालय अतीत की गौरवमयी शिक्षण–परम्पराओं का निर्वहन करते हुए आधुनिक संसाधनों एवं उच्च प्रौद्योगिकी की सहायता से छात्र/छात्राओं के स्वर्णिम भविष्य के लिए सदैव प्रयत्नशील है।

महाविद्यालय में प्राध्यापित संकाय/विषय

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अनुसार सत्र 2023–2024 से स्नातक के सभी संकायों में सेमेस्टर प्रणाली लागू।

स्नातक स्तर (कला संकाय)

कला संकाय (बी०ए०) बैचलर ऑफ आर्ट – तीन वर्षीय पाठ्यक्रम (6 सेमेस्टर)

समूह – अ भाषा / साहित्य	समूह – ब (प्रायोगिक विषय)
1. हिन्दी 2. अंग्रेजी 3. संस्कृत	1. भूगोल 2. गृहविज्ञान 3. शिक्षाशास्त्र 4. समाजशास्त्र

स्नातक स्तर (विज्ञान संकाय)

बैचलर ऑफ साइन्स बी–एस0सी0 (तीन वर्षीय पाठ्यक्रम 6 सेमेस्टर)

1. भौतिक विज्ञान
2. रसायन विज्ञान
3. गणित
4. जन्तु विज्ञान
5. वनस्पति विज्ञान

स्नातक स्तर (वाणिज्य संकाय)

बैचलर ऑफ कामर्स बी0 काम (तीन वर्षीय पाठ्यक्रम 6 सेमेस्टर)

प्रवेश सम्बन्धी आवश्यक नियम

1. बी0ए0, बी–एस0सी0, बी0 काम प्रथम वर्ष में आवेदन–पत्र के साथ निम्नलिखित कागजात संलग्न अनिवार्य होगा।

संलग्नक :–

1. हाईस्कूल अंक–पत्र एवं प्रमाण–पत्र की छायाप्रति
2. इण्टरमीडिएट अंक–पत्र एवं प्रमाण–पत्र की छायाप्रति
3. अन्तिम शिक्षण संस्था से प्राप्त चरित्र प्रमाण–पत्र तथा टी0सी0 की मूलप्रति
4. पासपोर्ट साइज की 3 फोटो
5. आधार कार्ड की छायाप्रति

शुल्क :–

1. विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क महाविद्यालय में छात्र/छात्राओं को देना होगा।
2. शारीरिक रूप से विकलांग छात्र/छात्राओं को प्रमाण–पत्र लगाने पर ही छूट प्रदान की जायेगी।

उपस्थिति :–

परीक्षा में शामिल होने के लिए अनिवार्य उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार कक्षा में 75 प्रतिशत उपस्थिति है।

परिचय–पत्र

प्रत्येक छात्र/छात्रा को महाविद्यालय द्वारा निर्गत प्रमाणित परिचय–पत्र साथ रखना अनिवार्य होगा, जिसे महाविद्यालय के नियंता मण्डल/प्राचार्य द्वारा माँगे जाने पर छात्र/छात्रा को प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

विषय परिवर्तन :–

सामान्यतः विषय परिवर्तन मान्य नहीं है। किन्हीं कारणों से विषय परिवर्तन का आवेदन छात्र/छात्राओं को करना हो, तो प्रवेश लेने के 10 दिन के भीतर विषय परिवर्तन का प्रार्थना–पत्र देना चाहिए।

विषय परिवर्तन प्राचार्य की अनुमति के बिना सम्भव नहीं है।

पुस्तकालय-वाचनालय

महाविद्यालय में पुस्तकालय एवं वाचनालय की समुचित व्यवस्था है। इसके लिए निम्नलिखित नियम होंगे।

1. प्रत्येक छात्र-छात्रा को एक समय में दो पुस्तकें ही मिलेंगी, जो 15 दिनों के लिए निर्गत की जायेंगी।
2. निर्धारित समय के अन्दर पुस्तक जमा न करने पर पाँच रुपये प्रतिदिन की दर से दण्ड शुल्क देना होगा।
3. पुस्तकें खराब या गायब होने पर छात्र-छात्रायें उत्तरदायी होंगे।
4. समाचार-पत्र एवं पत्रिकायें केवल वाचनालय में पढ़ने के लिए उपलब्ध होंगी।
5. वाचनालय में परिचय-पत्र दिखाकर ही प्रवेश किया जा सकेगा, जिसे बाद में वाचनालय से बाहर आने पर वापस कर दिया जायेगा।

प्रत्येक दशा में पुस्तक विश्वविद्यालय परीक्षा से पूर्व जमा करनी होगी।

अनुशासन सम्बन्धी नियम एवं निर्देश

1. महाविद्यालय परिसर में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जिसका समाधान न हो सके।
2. किसी प्राध्यापक/प्राध्यापिका, अधिकारी, कर्मचारी या विद्यार्थी के साथ अभद्र व्यवहार न करें।
3. प्रत्येक छात्र/छात्रा से कक्षा के अन्दर और बाहर अनुशासन बनाये रखने की आशा की जाती है।
4. महाविद्यालय में अध्ययनरत प्रत्येक छात्र/छात्रा के लिए निर्धारित ड्रेस (यूनिफार्म) पहनना अनिवार्य है।
5. प्रत्येक छात्र/छात्रा अपने वाहन इत्यादि को महाविद्यालय परिसर में निर्धारित स्थान पर ही रखें।
6. महाविद्यालय के भवन एवं किसी भी सम्पत्ति को किसी प्रकार की क्षति न पहुँचाये। महाविद्यालय के भवनों, दीवारों पर किसी भी प्रकार का पोस्टर या प्रचार सामग्री लगाना मना है।
7. महाविद्यालय परिसर कक्षा के अन्दर धूम्रपान करना व पान मसाला खाकर इधर-उधर थूकना व मोबाइल प्रयोग करना सख्त मना है।
8. यदि कोई छात्र/छात्राएँ अनुशासन बनाये रखने में दोषी पाया जायेगा तो प्राचार्य द्वारा अपराध के अनुरूप उसे निम्न दण्ड दिये जा सकते हैं।

(क) चेतावनी (ख) अर्थदण्ड जो 500 रु0 हो सकता है।

(ग) निलम्बन (घ) चरित्र प्रमाण पत्र न दिया जाना।

खेलकूद

महाविद्यालय में लगभग सभी खेल की व्यवस्था है और खेल उपकरण की पर्याप्त व्यवस्था है। महाविद्यालय का अपना खेल का मैदान है।

छात्र/छात्राएँ खेलकूद उपकरण के लिए कार्यालय से सम्पर्क कर सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।

छात्रवृत्ति

उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा छात्र हित के लिए छात्रवृत्ति योजना की शुरूआत की गई। राज्य स्तर पर पढ़ने वाले सभी श्रेणी के छात्र को समान रूप से लाभ मिलेगा। उत्तर प्रदेश छात्रवृत्ति योजना प्रदेश सरकार द्वारा संचालित एक कल्याणकारी योजना।

महाविद्यालय संपर्क सूत्र

तपस्थली महाविद्यालय

डीली सरैया, अयोध्या (उ0प्र0)

सम्बद्ध :– डॉ0 राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ0प्र0)

मो0 नं0 :– 94522 88019, 63067 66917, 9793458324

ईमेल आईडीह– srj224121@gmail.com

वेबसाइट :– http://tapsthalimahavidyalay.com/